

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मैं,

जिलाधिकारी,  
झांसी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:: दिनांक::: 3 | दिसम्बर:: 2013

विषय- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में पेयजल संकट ग्रस्त ग्रामों में टैकर द्वारा की गयी जलापूर्ति पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1021/मु0रा0आ0-03(13)/दै0 आ0/2013-14, दिनांक 25.11.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जनपद झांसी में ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर गिरने के फलस्वरूप जनपद के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी थी, जिसके कारण टैकरों से जलापूर्ति किया जाना आवश्यक हो गया था। इस हेतु जल संस्थान से समस्याग्रस्त क्षेत्रों में किराये के टैक्टर/टैकरों से जलापूर्ति करायी गयी थी। उक्त तथ्यों के आलोक में, विशेष परिस्थितियों में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में जनपद झांसी के पेयजल के संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैक्टर/टैकरों के परिचालन पर हुये व्यय के भुगतान, बनी हुई देयता के परिप्रेक्ष्य में कुल ₹0 48,19,285/- की धनराशि की मांग आपके द्वारा की गयी है। अतः प्रश्नगत मामले में पेयजल के संकटग्रस्त क्षेत्रों में टैक्टर/टैकरों के द्वारा की गयी जलापूर्ति पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹0 48,19,285/- (रुपये अड्डालीस लाख उन्नीस हजार दो सौ पच्चासी मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- इस धनराशि केवल पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में टैक्टर, टैंकर संचालन/मरम्मत में व्यय के भुगतान पर नियमानुसार उपयोग की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता वितरण करने के उद्देश्य से शा०प०सं०-७८/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 जिसके साथ भारत सरकार का पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1 दिनांक 16-01-2012 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, में जहों राहत प्रदान करने के लिए मानक निर्धारित है, उन मर्दों में आवश्यकतानुसार तत्काल व्यय की जायेगी। शासन के पत्र संख्या-जी०आई०-१८/१-१०-२०१२, दिनांक 25.10.2012 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र संख्या-३२-३/२०१३-एनडीएम-१ दिनांक 28.09.2012 के माध्यम से एस०डी०आर०एफ०/ एन०डी०आर०एफ० से नोटिफाइड दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन करते हुये पुनरीक्षित नार्मस की सूचना उपलब्ध करायी गई है, का अनुपालन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-३१७/१-११-२०१३, दिनांक 05 जुलाई, 2013 जिसके साथ भारत सरकार के पत्र दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मर्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी यथावश्यक अनुपालन किया जायेगा।

5- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

6- आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-१६९३/१-११-२००५-रा०-११, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. य०पी०.एनआईसी.इन पर फोड़ करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०आ०-२/१-११-२०१३-रा०-११, दिनांक 04-03-2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई वचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

7- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

8- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदौं में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त ।

संख्या-3619 (1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद ।
- 2- आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेवसाइट एचटीटीपी//राहत. १०पी०.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, झांसी।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/ राजस्व अनुभाग-६ राहत वेवसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन ।
- 10- गार्ड फाइल ।

आच्छा से,

(अनिल कुमार वाजपेई)

उप सचिव।